राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3)

क्र. एफ 4(35)ग्रावि / नरेगा / निर्देश / 2009–10 जयपुर, दिनांक : 9 FEB 2010

जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं जिला कलेक्टर,
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान,
समस्त जिले (राजस्थान)।

विषय :– नरेगा योजनान्तर्गत विभिन्न निर्माण कार्यों में सीमेन्ट के उपयोग बाबत।

महोदय,

प्रायः यह देखा गया है कि निविदा में सीमेन्ट की सप्लाई लेते समय सीमेन्ट बनाने वाली कम्पनी का नाम अंकित किया जाता है। साथ ही इस बात पर जोर दिया जाता है कि केवल ओ.पी.सी. **(Ordinary Portland Cement)** ही हो। कुछ जिलों में पी.पी.सी. **(Portland Pozzolana Cement)** की सप्लाई लेने से मना किया जा रहा है, जबकि कुछ जिलों में सिर्फ ग्रेड–53 सीमेन्ट (की आपूर्ति) ही ली जा रही है। इस तरह का प्रचलन गलत है तथा इसमें संशोधन की आवश्यकता है।

अतः इस संबंध में निम्न निर्देश जारी किये जाते हैं :–

1. **I.S. 456 : 2000. Indian Standard Plain and Reinforced Concrete- Code of Practice** के अनुसार निर्माण कार्य में निम्न प्रकार की सीमेन्ट प्रयोग में ली जा सकती है :–

   (i) **33 Grade O.P.C. conforming to IS 269-1989.**

   (ii) **43 Grade O.P.C. conforming to IS 8112-1989.**

   (iii) **53 Grade O.P.C. conforming to IS 12269-1987.**

   (iv) **Portland Pozzolana Cement (P.P.C.) (fly ash based) Conforming to IS 1489 (Part 1) 1991.**

2. सीमेन्ट बैग्स् की सप्लाई की निविदा जारी करते समय, केवल आई.एस. कोड एवं सीमेन्ट के प्रकार ही देवें और सीमेन्ट के ब्राण्ड के नाम का उल्लेख नहीं करे।

3. पोलीथीन सीमेन्ट बैग को प्राथमिकता देवें, बैग पर निम्न सूचना अंकित होना आवश्यक है :–

    (i) निर्माता का नाम

    (ii) निर्माता का रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क अगर हो तो

    (iii) सीमेन्ट का प्रकार

    (iv) प्रत्येक बैग का वजन और बैग संख्या/ टन

    (v) निर्माण का सप्ताह/ माह/ वर्ष

4. सीमेन्ट की आपूर्ति लेते समय यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि सीमेन्ट इतनी ही मात्रा में क्रय की जावे कि उसका उपयोग, उसके निर्माण से एक माह की अवधि के अन्दर–अन्दर हो। सीमेन्ट के पुरानी होने से उसकी स्ट्रेन्थ समय के साथ कम होती जाती है।

5. गुणवत्ता के लिये निर्माता की तरफ से सप्लाई करते समय संबंधित मापदण्डों (नवीनतम जो भी लागू हो) के अनुरूप टैस्ट प्रमाण पत्र देना आवश्यक होगा।

6. सीमेन्ट आपूर्ति करने वाले आपूर्तिकर्ता को मुख्य सीमेन्ट निर्माता से यह प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा कि सीमेन्ट संबंधित आई.एस. मापदण्डों के अनुरूप है तथा बडे प्लान्ट की है, उसके साथ मूल बिल/ चालान पूरी सीमेन्ट मात्रा के प्रत्येक लोट के कार्य के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। किसी भी हालत में मिनी प्लांट से सीमेन्ट क्रय नहीं किया जावे।

7. फील्ड में कार्य करने वाले सभी अधिकारियों को सीमेन्ट कार्य में लेते समय यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि सीमेन्ट, सीमेन्ट मोरटार एवं सीमेन्ट कंकरीट के टेस्ट रिजल्ट संबंधित आई.एस. कोड के अनुरूप हों।

8. सीमेन्ट मोरटार/ कंकरीट की कम्प्रेसिव स्ट्रेन्थ 7 दिवस एवं 28 दिवस सीमेन्ट की ग्रेड एवं संबंधित आई.एस. कोड के अनुरूप हों।

9. एक ही कार्य में ओ.पी.सी. एवं पी.पी.सी. सीमेन्ट की मिक्सिंग अनुमत नहीं है।

10. सीमेन्ट के कार्य की तराई (**Curing**) आई.एस. कोड 456 : 2000 में दिये प्रावधान के अनुसार की जावे। आर.सी.सी. कार्य में **Portland Pozzolana Cement** कार्य में ली जाती है तो यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि कम से कम 14 दिन **damp curing** हो तथा जब तक 75 प्रतिशत डिजाईन स्ट्रेन्थ प्राप्त नहीं हो जाती कंकरीट से सपोर्ट (**Form Work**) नहीं हटाये जावे।

भवदीय,

(सी.एस.राजन)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री, ग्रा.वि. एवं पं. राज विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रा.वि. एवं पं. राज विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त एवं शासन सचिव, ईजीएस, जयपुर।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद एवं अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक, नरेगा समस्त राजस्थान को भेजकर लेख है कि उक्त निर्देशों की प्रति आपके अधीनस्थ सभी कार्यक्रम अधिकारी/विकास अधिकारियों को वास्ते पालनार्थ उपलब्ध करवायें।
5. अधिशाषी अभियंता, ईजीएस/अभियांत्रिकी, समस्त राजस्थान to circulate it to all JTA/JEns
6. मुख्यालय में कार्यरत समस्त अधिकारी, नरेगा, जयपुर।
7. रक्षित पत्रावली।
8. Programme to upload on the website

9/2/2010

परि. निदे. एवं उप सचिव, ईजीएस

SE\D:\Letter.doc